न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रकरण संख्याः– 162/2017 (जी.सी.एम.एस. नम्बर 2017/00421),पीठासीन अधिकारीः– श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. देवीराम
2. मुंशी
3. रामकिशोर

} पुत्र सामलिया जाति जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग (राज.)

–वादीगण

बनाम

1. खजान पुत्र सुक्खी जाति जाट नि0 सिनसिनी तहसील डीग
2. बाबू
3. चेतन
4. मिठ्ठू सिंह

} पुत्रगण गोपन जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

5. दामोदर
6. शिवचरन
7. धर्मी

} पुत्रगण नन्दा जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

8. सतेन्द्र
9. भूपेन्द्र

} पुत्रगण विजेन्द्रर जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

10. पी.एन.बी. बैंक शाखा सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)
11. तहसीलदार तहसील डीग जिला डीग(राज0)

–प्रति0

दावा डिक्लेरेशन व हुक्म इम्तनाई दवामी
अन्तर्गत धारा 88–89 व 188 आर.टी.एक्ट,

निर्णय **दिनांकः 20.12.2024**

वादीगण द्वारा यह दावा इस आशय के साथ पेश किया है कि आ.ख.नम्बर 2889/0.36,वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में स्थित है। साविक खसरा नम्बर 1250 रकबा 2 वीघा 12 बिस्वा का था जो पूर्व में प्रति0 नम्बर 01 के पिता सुक्खी व प्रति0 संख्या 02 लगायत 04 के पिता गोपन व प्रति0 नम्बर 05 लगायत 07 के पिता व प्रति0 नम्बर 08 व 09 के बाबा नन्दा के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी और सुक्खी, गोपन व नन्दा द्वारा अपनी जरूरत जायज के कारण आराजी मुत0 सालिम दिनांक 18.07.1972 को जरिये रजिस्टार बयनामा से वादी को विक्रय करदी और मौके पर दखल व कब्जा वादीगण को दे दिया तभी से लेकर आज तक वादीगण आराजी मुत0 पर वाहिस्सा बरावर काबिज कर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और मौके पर वादीगण काबिज काश्त है। प्रति0 का आराजी मुत0 से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और न ही कोई कब्जा काश्त है। साविक आराजी खसरा नम्बर 1250 रकबा 2 वीघा 12 विस्वा पर वादीगण वक्त बयनामा से शातिपूर्वक काबिज

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है और आज भी मौके पर काबिज काश्त है। दौराने सैटिलमेंट साविक खसरा नम्बर 1250 को हाल खसरा नम्बर 2889/0.36 में बदला गया है और गलत रूप से प्रति0 के नाम दर्ज किया जा रहा है जोकि गलत है। जबकि मौके पर वादीगण आराजी मुत0 पर काबिज रहकर निरन्तर काश्त करते चले आ रहे है। प्रति0 का आराजी मुत0 पर कोई कब्जा काश्त नहीं है मगर प्रति0 का नाम दर्ज किया जा रहा है जोकि गलत है। गलत इन्द्राजात के कारण अब प्रति0 के मन में बेईमानी आ गई है और बिना किसी अधिकार के आराजी मुत0 को हडपना चाहते है। आराजी मुत0 को दीगर लोगों को रहन बय मुन्तकिल करने की धमकी देते है। अतः निवेदन है कि आराजी मुत0 खसरा नम्बर 2889/0.36, वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग पर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम गलत इन्द्राजात को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश फरमायें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रति0 को जरिये सम्मन तलब किया गया। दिनांक 08.12.2017 को प्रति. संख्या 01,06 व 08 की ओर से श्री शंकरपाल एड0 तथा प्रति0 संख्या 02,03,04 की ओर से श्री हरीकृष्ण शर्मा एड0 उपस्थित आये एवं प्रति0 संख्या 05 व 07 बावजूद सूचना व तामील के उपस्थित अदालत नहीं होने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। दिनांक 17.01.2018 को प्रति0 संख्या 02,03,04, की ओर से जबाव इकबाल दावा पेश किया गया। जबाव इकबाल दावे में वर्णित किया गया है कि दावा मय उपमद अ,ब,स, स्वीकार है व दावा डिक्री किये जाने में हम प्रति0 को कोई एतराज किसी प्रकार का नहीं है। प्रति0 संख्या 01 व 05 लगायत 09 की ओर से 14.03.2018 को अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गुप्ता उपस्थित आये। दिनांक 10.02.2022 को प्रति0 संख्या 11/पैरोकार सरकार द्वारा जबाव पेश किया गया। जबाव में वर्णित किया गया है कि वादीगण के दावे का सम्बन्ध प्रति0 संख्या 01 लगायत 09 के मध्य विवाद है इस सम्बन्ध में जबाव दिया जाना अपेक्षित नहीं है। दिनांक 10.02.2022 को ही प्रति0 के द्वारा जबाव पेश नहीं किये जाने पर जबाव बन्द किया गया।

दिनांक 23.04.2024 को दावे में निम्नांनुसार तनकीयात कायम की गईः—

1. आया वादीगण आराजी मुत0 पर अपने आपको खातेदार काश्तकार घोषित करा पाने के अधिकारी है?
2. आया वादीगण प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद करा पाने के अधिकारी है?
3. दादरसी?

उक्तानुसार तनकीयात कायमी के उपरांत साक्ष्य वादी में PW-1, में देवीराम पुत्र सामलिया व PW-2, में राजकुमार पुत्र मुंशीराम के बयान दर्ज कराये गये। साक्ष्य वादीगण के उपरांत प्रति0 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं होने से प्रकरण को वास्ते बहस रखा गया।

वकील वादीगण ने बहस के दौरान दावे में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कहा कि कि आराजी मुत0 खसरा नम्बर 2889/0.36, वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग पर वादीगण को खातेदार

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

काश्तकार घोषित किया जाकर प्रति0 के नाम गलत इन्द्राजात को कलमजन किये जाने तथा प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किये जाने के आदेश फरमायें।

पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन व वकील वादी की बहस पर मनन किया गया। दिनांक 12.11.2024 को वकील वादीगण की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने बहस में कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 2889 रकबा 0.36का साविक खसरा नम्बर 1250 रकबा 2 वीघा 12 विस्वा था। यह नम्बर प्रति0 संख्या 01 के पिता व प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 के पिता गोपन व प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 के पिता व प्रति0 सं. 8 व 9 के बाबा नन्दा की आराजी थी। दिनांक 18.07.1972को जरिये विक्रय पत्र नन्दा ने वादीगण को विक्रय करदी। कब्जा एवं दखल वादीगण को दे दिया तभी से वादीगण की कब्जा काश्त है। साविक खसरा नम्बर 1250 के हाल खसरा नम्बर 2889 आज भी प्रति0 के वारिसान के नाम है। यह गलत प्रबिष्टि हे। मैने बयनामा की नकल पेश की है। प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 की ओर से इकबाल दावा पेश किया गया है। शेष प्रति0 की मॉन स्वीकृति है। दावा वादीगण डिक्री किया जावे।

हमने वादीगण के वादपत्र, प्रति0 संख्या 2,3,4 के इकबाल दावे, PW-1 देवीराम, PW-2 राजकुमार, प्रति0 सं. 11 पैरोकार सरकार के जबाव दावे, हाल खसरा नम्बर 2889 की जमाबन्दी सम्बत 2070 से 2073 प्रदर्श–1, भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2, राजस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1972 की फोटो प्रति प्रदर्श–3, का अवलोकन एवं बहस वकील वादीगण का मनन किया। दावे में वर्णित तनकीयात निम्नांनुसार निर्णीत की जाती है:–

1. <u>तनकी संख्या–1,</u> आया वादीगण आराजी मुत0 पर अपने आपको ख़ातेदार काश्तकार घोषिष करा पाने के अधिकारी है?

इस तनकी को सिद्व करने का भार वादीगण पर है। वर्तमान जमाबन्दी सम्बत 2070–2073 प्रदर्श–1, में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2889 रकबा 0.36 वाके ग्राम सिनसिनी प्रति0 के नाम है। कब्जा काश्त प्रति0 का है। भू–प्रबंध मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–2 के अनुसार हाल खसरा नम्बर 28889 रकबा 0.36 साविक खसरा नम्बर 1250 रकबा 2 वीघा 12 विस्वा से बना है। साविक खसरा नम्बर 1250 रकबा 2 वीघा 12विस्वा प्रति0 के पूर्वजों के नाम खातेदारी दर्ज थी जिसे उन्होंने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 18.07.1972 सुक्खी व नन्दा पुत्रान पीता व गोपन पुत्र मानी जाति फौजदार निवासी सिनसिनी ने 6500 रूपये में देवीराम,मुंशी,रामकिशोर को विक्रय कर दिया गया। विक्रेता सुक्खी व नन्दा पुत्रान पीता व गोपन पुत्र मानी प्रति0 1के पिता व प्रति0 संख्या 2 लगायत 4 के पिता व प्रति0 संख्या 5 लगायत 7 के पिता व प्रति0 संख्या 8 व 9 के बाबा थे। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निष्पादित हो जाने से विक्रेता से खरीददारी का स्वामित्व का हस्तान्तरण हो जाता है। सम्पत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 54 के मुताविक विक्रय का मतलब है किसी कीमत के बदले स्वामित्व का हस्तान्तरण प्रति0 संख्या 2,3,4 ने इकबाल दावा पेश किया है। प्रति0 संख्या 1 व 5 लगायत 9 की ओर से कोइ जबाव देही एवं साक्ष्य नहीं करवाये गये है। गवाह PW-1 व

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

PW-2 ने प्रति0 को वादग्रस्त आराजी पर कोई सम्बन्ध सरोकार नहीं होना जाहिर किया गया है। वादीगण का ही कब्जा काश्त बताया गया है। ऐसी स्थिति में तनकी संख्या 1 वादीगण के पक्ष में व प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

2. **तनकी संख्या–2,** आया वादीगण प्रति0 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद करा पाने के अधिकारी है?

तनकी संख्या 01 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जा चुकी है। दावा वादीगण स्वघोषणा सिद्व करने में सफल रहे है। तनकी संख्या 2 भी विरूद्व प्रति0 वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाती है।

3. **तनकी संख्या–3,** उभय पक्षकार अपना अपना वाद खर्चा स्वयं वहन करें।

तनकी संख्या 1,2,3, वादीगण के पक्ष में निर्णीत की जाकर निर्णीत की जा चुकी है। ऐसी स्थिति में हम दावा वादीगण को स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः–

वादीगण का दावा दस्तावेजी साक्ष्य से सावित होने पर स्वीकार किया जाता है। आराजी खसरा नम्बर **2889 रकबा 0.36 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग का वादीगण को वाहिस्सा बरावर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। जो इन्द्राजात प्रतिवादीगण के उक्त खसरा नम्बर 2889/0.36 में हो रहे है उन्हें कलमजन किया जाता है।** प्रति0 को स्थाई निषेधाज्ञा से पावंद किया जाता है कि वादीगण को बेदखल नहीं करें तथा कब्जे काश्त में रूकावट नहीं डालें व रहन बय मुन्तकिल नहीं करें। इस निर्णय व डिक्री की पालना पर उक्त स्थगन प्रभावी नहीं होगा। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

निर्णय आज दिनांक 20.12.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
डीग

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.